

## प्रपत्र 8

(देखिये नियम 143, 149 और 157)

पेट्रोलियम पदार्थ आयात/भण्डार हेतु अनुज्ञापत्र जारी करने/संशोधन स्थानान्तरण के लिए  
आवेदन पत्र

1.	आवेदक का नाम पत्र व्यवहार का पूर्ण पता			
2.	जहां पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार किया जावेगा उसकी स्थिति			
	(अ) राज्य			
	(ब) जिला			
	(स) ग्राम-कस्बा			
	(द) पुलिस थाना			
	(य) नजदीकी रेलवे स्टेशन			
3.	मंगाये/भण्डारण किये जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा (लीटर में)			
	पेट्रोलियम वर्ग "स"	पेट्रोलियम उत्पाद का नाम व मात्रा	वर्ग "अ"	वर्ग "ब"
	(अ) टैंकर भण्डारण			
	(ब) ड्रमों में			
	(स) योग			
	समस्त वर्गों का योग			
4.	पूर्व में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा लीटर में			
	पेट्रोलियम वर्ग "स"	पेट्रोलियम उत्पाद का नाम व मात्रा	वर्ग "अ"	वर्ग "ब"
	(अ) टैंकर भण्डारण			
	(ब) ड्रमों में			
	(स) योग			
	समस्त वर्गों का योग			
5.	उक्त परिसर पर कितने अनुज्ञापत्र जारी हैं? अनुज्ञापत्र धारकों के पूर्ण नाम व पते			

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित विवरण मेरे द्वारा जांच कर लिये गये हैं जो सत्य हैं  
और मुझे जारी होने वाले अनुज्ञापत्र की नियमों एवं शर्तों की पालना करता रहूँगा।

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न:-

1. आवेदित स्थल के 5 मानचित्र (ब्लू प्रिन्ट)

हां/नहीं

2. अनुज्ञापत्र संख्या .....प्रपत्र.....में संलग्न है हां/नहीं
3. स्वामित्व के दस्तावेज
4. प्रस्तावित स्थल वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण संबंधी आदेश की प्रति।

कार्यालय कार्यवाही

श्री..... से प्राप्त आवेदन पत्र गठित समिति दिनांक 19-06-96 (उप जिला मजिस्ट्रेट)..... को वास्ते जांच प्रेषित है।

शाखा लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी

उप जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट

1. आवेदित स्थल फायर हजार्ड/ट्रेफिक हजार्ड/ कानून व्यवस्था की दृष्टि से उपयुक्त है। हां/नहीं
2. आवेदित स्थल वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है हां/नहीं
3. आवेदित स्थल पर आवेदन अनुसार अनापत्ति/ अनुज्ञापत्र जारी/नवीनीकरण किया जा सकता है। हां/नहीं
4. अनापत्ति/अनुज्ञापत्र जारी/नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं किये जाने के कारण .....

उप जिला मजिस्ट्रेट

वृत अधिकारी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

कार्यालय कार्यवाही

1. आवेदित स्थल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञापत्र जारी/नवीनीकरण किया जा सकता है। हां/नहीं
2. प्राप्त रिपोर्ट किन-किन बिन्दुओं के क्रम में अस्पष्ट है इसका विवरण .....
3. अनुज्ञापत्र जारी/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी/नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण .....

शाखा लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी

जिला मजिस्ट्रेट

स्वच्छ अनुज्ञापत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्तानुसार स्वीकृति उपरान्त हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

शाखा लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी